प्रेस नोट **दिनांक 30.10.2025**

ट्रेडिंग के नाम पर खाते से फ्रांड की गयी 50000/- रु0 (पच्चास हजार) रुपये की कुल धनराशि थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए ट्रेडिंग के नाम पर खाते से फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 50000 (पच्चास हजार) रुपये, पीडित वेद प्रकाश राय पुत्र सुभाष चन्द्र राय निवासी रेयांव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 50000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी नि0 श्री राज कुमार सिंह थाना दोहरीघाट ।
2. क0आ0 सुनील कुमार थाना दोहरीघाट ।
3. का0 अमित कुमार मिश्रा थाना दोहरीघाट ।
4. का0 चन्दन कुमार थाना दोहरीघाट ।
5. म0का0 रेखा थाना दोहरीघाट ।

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा दिनाक 30.10.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान

जरिये मुखबिर की सूचना पर भदेसरा मोड़ के पास से मु0अ0स0 222/25 धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट में वांछित मो0 इरफान पुत्र मो0 इस्लाम निवास डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 निशा त्रिपाठी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
2. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
3. हे0 का0 श्याम यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
4. का0 राघवेन्द्र प्रताप थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

अंजान व्यक्ति द्वारा खाते से फ्रांड की गयी 90,000/- रु0 कुल धनराशि (नब्बे हजार) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति द्वारा खाते से फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 90000 (पच्चास हजार) रुपये, पीडिता ममता पत्नी नागेन्द्र राजभर निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 90000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी नि0 श्री रवीन्द्र नाथ राज थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. क0आ0 अभिजीत पटेल थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. का0 अकिंत चौरसिया थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. म0का0 कविता पासवान थाना कोपागंज जनपद मऊ।

मऊ पुलिस अधीक्षक श्री इलामारन जी के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। मिशन शक्ति फेज 5.0 में उपद्रवियों, अराजक तत्वों और मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया है एवं महिलाओं को जागरुक सशक्त बनाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। उक्त मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अनुपालन हेतु दिनांक 30.10.2025 को उ0नि0 योगेन्द्र कुमार सिंह मय हमराही कर्म0गण के मु0अ0सं0 211/15 के वादिनी मुकदमा के प्रार्थना पत्र की जाँच हेतु पहुँचे तो देखा कि अभियुक्त कलीम अहमद पुत्र स्व.नेयार अहमद निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ अपने मुकदमे में समझौता करने हेतु दबाव बना रहा है। अभियुक्त/ विपक्षी से आने का कारण पूछा तो वादिनी के समक्ष आमदा फौजदारी होने लगा। अभियुक्त/ विपक्षी को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परन्तु नहीं माना। अभियुक्त/ विपक्षी को समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । उपरोक्त का चालान गिरफ्तार कर चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. का0 संतोष यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. का0 दिलीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

अंजान व्यक्ति द्वारा FIR की धमकी देकर खाते से फ्रांड की गयी 49678/- रु0 कुल धनराशि (उन्चास हजार छः सौ अठहत्तर) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति द्वारा FIR की धमकी देकर खाते से फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 49678 (उन्चास हजार छः सौ अठहत्तर) रुपये, पीडित आजाद सिंह निवासी तिलई बुर्जग थाना घोसी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 49678 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके

खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. नोडल उ0नि0 प्रकाश सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 दिनेश यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
3. हे0 आ0 अरविंद यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
4. म0का0 काजल सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
5. म0का0 पुष्पलता पाण्डेय थाना घोसी जनपद मऊ।

जय हिंद सर

सादर अवगत कराना है कि आवेदक अजीत राय पुत्र स्वर्गीय लल्लन राय निवासी हथिनी मठ मोहम्मदपुर थाना सरायलखन्सी के लिखित तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 287 / 25 धारा 137 (२)बीएनएस दिनांक 23 /6/ 2025 को थाना सरायलखन्सी पर पंजीकृत हुआ था दिनांक 28.10.2025 को आवेदक व उनके भाई व रिश्तेदार सहयोगी द्वारा नंदगंज गाजीपुर से विवेक राय पुत्र अरविंद राय निवासी चोरपखुर्द थाना सरायलखन्सी मऊ को पड़कर अपने घर पर चोरपा खुर्द थाना सरायलखन्सी लाकर मारपीट किए थे आज दिनांक 30.10.25 को सुबह अभियुक्त विवेक राय ने ट्रेन में जीआरपी मऊ पर फांसी लगा लिया उनकी मृत्यु हो गई है जिसका पंचायत नाम पोस्टमार्टम जीआरपी द्वारा कराया गया मृतक का लाश मृतक के पैतृक गांव चोरपा खुर्द चौकी मठ मोहम्मदपुर थाना सराय लखंसी आएगा जिसका अंतिम संस्कार गाजीपुर में होगा